न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुनिता यादव(आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:— 143/18

1.— नारायणलाल पिता स्व. मोहनलाल कुमावत नि. पुराना
2.— कुमावतों का खेड़ा ग्राम गुरला तह. व जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थीगण

बनाम

1.— मोहन पिता रतना कुमावत नि पुराना कुमावतों का खेड़ा ग्राम गुरला
जानी पिता रतना कुमावत नि पुराना कुमावतों का खेड़ा ग्राम गुरला
2.— गोपू पिता नारायण कुमावत नि नया कुमावतों का खेड़ा (माधोपुरा) गुरला
5— भैरूलाल पिता भगवती प्रसाद तिवाड़ी नि गुरला

——विपक्षीगण

5 गोपु पिता सुरेश शर्मा नि गुरला
6 कानेर पिता देवा कुमावत नि: नया कुमावतों का खेड़ा (माधोपुरा) गुरला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भ0 राजस्व अधिनिय 1956

:: निर्णय :: दिनांक:— 04-06-2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राज0 अधिनियम 956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुरला पटवार हल्का गुरला तहसील जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 2901 कुल किता 1 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवां के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद त्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29-05-2018 को पंजीबध्द किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिध्द है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की ने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में सी प्रकार की हैरा—फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर म गुरला पटवार ह0 गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2901 कुल किता 1 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये ने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक गुरला 400/- को 400/-—रू0(अक्षरे— चार सौ रु मात्र) शनर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। शनर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथति को बनाये ते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो रगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

लिपि:— तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर मानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner